सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या-848

24/07/2010

भारतीय संविधान में नीहित मूल अवधारणा के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदत्त अधिकारों में हस्तक्षेप।

श्री नीतीश कुमार।

दिल्ली 24 जुलाईः- श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार ने कहा कि हम राज्यों की कीमत पर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए सकल बजटीय समर्थन के एक बहुत बड़े भाग को सुरक्षित रखने की प्रवृति का विरोध करते है। विगत् राश्ट्रीय विकास परिशद की बैठक में हुए गहन विचार विमर्भा का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या एवं आवंटन में कमी लाने पर सहमति हुई थी। बावजूद इसके केन्द्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में विधायी प्रक्रिया के माध्यम से विपरीत प्रवृत्ति में इजाफा नजर आ रही है, जो भारतीय संविधान में निहित उद्देभयों- भावना तथा राश्ट्रीय विकास परिशद के गठन के उद्देभय के विपरीत राज्यों की स्वायत्तया पर अतिक्रमण का संकेत सा प्रतीत होता हैं। श्री कुमार ने तेरहवें वित्त आयेाग की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि सबके लिए एक समान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में कमी करने तथा फार्मूला आधारित अन्तरणों को बहाल करने की पहल अनुभांसित की गई है, अर्थात् स्वविवेक के बजाए फार्मूला आधारित आवंटन ही श्रेयश्कर है। साथ ही राज्य योजना सहायता का अंभा सकल बजटीय सहयोग ३४ प्रतिभात से घट कर २३ प्रतिभात हो गया है, जबकि केन्द्रीय सेक्टर का प्रतिभात ६६ से बढ़कर ७७ प्रतिभात हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार आज नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राश्ट्रीय विकास परिशद के ५५ वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने बिहार को विषेश राज्य का दर्जा दिए जाने की आवभयकता का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में हाल में उत्साह वर्धक प्रगति हुई है, बावजूद इसके हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पीछे है। निवेशकों को खासकर कृशि आधारित उद्योग क्षेत्र में आकर्शित करने के लिए ''विषेश राज्य का दर्जा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। एकबार विभोश राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार अपनी जरूरतों का खुद ही ध्यान रखेगा। श्री कुमार ने राश्ट्रीय विकास परिशद से इस मांग की समर्थन करने की अपील की है।

श्री कुमार ने बिहार द्वारा अर्जित सफल विकास दर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वैभिवक मंदी का महौल, बाढ़-सुखाड़, बिजली की कमी के बावजूद बिहार में विकास दर के आँकड़े वर्श 2007-08 में 8-77 प्रतिशत, 2008-09 में 16.59 प्रतिशत रहा जबकि 11वें योजना अवधि में प्रतिवर्श 8.5 प्रतिभात विकास दर की परिकल्पना की गई थी। शेश दो वर्शों में १३ प्रतिशत से अधिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की चर्चा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि वर्श 2004-05 में रु६ 8307.00 थी जो वर्श 2009-10 में बढ़कर दो गुनी से अधिक अर्थात् रु६ 16,177/- हो गई हैं। वर्श 2004 में बिहार योजना का आकार जो 3476/- करोड़ रुपये था वर्श 2009-10 में बढ़कर चौगुनी से अधिक रु६ 13987/- करोड़ हो गयी जबकि वर्श 2010-11 में हमारी योजना का आकर रु६ 20,000 करोड़ का है। श्री कुमार ने बिहार में राजस्व का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्श 2004-05 में 3561 करोड़ था, जो वर्श 2009-10 में बढ़कर 8090 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि विगत् तीन वर्शों में बिहार अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा एवं भीशण बाढ़ झेला है, जिसके लिए ब्यापक पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना का जीर्णोद्धार कार्य वाँछित था। उसके अतिरिक्त विगत् वर्श गंभीर सुखाड़ का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके हमने अपना विकास केन्द्रित प्रयास जारी रखा है।

श्री कुमार ने कहा कि विकास रणनीति का चरम उद्देश्य गरीबी उन्मूलन होता है, जिसके तहत मानव जीवन को गरिमा प्रदान करनेवाली स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता का स्तर हासिल करने की दृश्टि से भी, न कि प्रति-व्यक्ति खपत स्तर की दृश्टि से। उन्होंने तेंदुलकर समीति द्वारा अनुशंसित संशोधित गरीबी आँकड़े को योजना आयोग द्वारा स्वीकार करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित गरीबी के आँकड़े, बिहार जैसे राज्य सरकारों द्वारा कराए गए पारिवारिक आकलनों से व्यापक तौर पर भिन्न है। श्री कुमार ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और उन्हे चिन्हित करने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की जाती है, जो काफी जटिल एवं विवाद उत्पन्न करने वाली होती है। श्री कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड पर चिन्हित करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाने की आवश्यकता है।

श्री नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गाँधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना में अत्यावश्यक न्यूनतम रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है। इस योजना के तहत निधि विमुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया संतोश जनक नही है, चूँकि सौ दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक जिम्मेदारी निर्वहन की अपेक्षा राज्यों से की जाती है, फलस्वरूप राज्य के श्रम बजट में अनुमोदित राशि वर्श के प्रारम्भ में ही एक मुस्त विमुक्त कर दी जाए। आवश्यक रूप से इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि कार्य कराने का मौसम अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है। साथ ही यह भी

आवश्यक है कि मनरेगा की दैनिक मजदूरी की पूरी राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा ही की जाए न कि मात्र सौ रुपये दिए जाने का प्रावधान चालू रहे।

श्री कुमार ने बिहार की शिक्षा प्रक्षेत्र की चर्चा करते हुए बताया कि वर्त्तमान में इस प्रक्षेत्र पर 7500 करोड़ व्यय किया जाता है। शिक्षा के अधिकार के प्रस्तावित तरीके के कार्यान्वयन पर कुल 25000 करोड़ की आव"यकता हैं इस व्यय के वहन हेतु राज्यांश 10 प्रतिशत तक ही सीमित होना आवश्यक है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए है। कक्षा तीन से पाँच तक के सभी लड़के-लड़कियों को तथा कक्षा छः से आठ तक के सभी लड़कियों को निःशुल्क पोषाक दिए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत् दो करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए है। पच्चीस लाख से अधिक लड़के-लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए रु६ 2000/- के दर से सहायता दिया गया है। ''हूनर और औजार'' नामक दक्षता उन्नयन योजना से 38000 मुस्लिम तथा 25000 अनुसूचित जाति, अनसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग की लड़कियाँ लाभान्वित हुई है। 70,000 लड़कियाँ जूडो/कराटे सीख चुकी है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्त्तीण होने वाली सभी लड़कियों को आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु रु६ 10,000/- मात्र के दर से सहायता दी जाती है। ''मुख्य मंत्री अक्षर ऑचल'' योजना के तहत कुल ४० लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि बिजली की कमी एवं अविश्वसनीय गुणवत्ता बिहार की बड़ी कमजोरी रही है। जहाँ प्रतिव्यक्ति वार्शिक उर्जा खपत की राश्ट्रीय औसत 717 किलो वाट घंटा है वहीं बिहार में यह औसत १०१ किलो वाट घंटा है। राज्य में विद्युतिकृत ग्रामों का प्रतिशत भी बहुत कम है। वर्तमान् में बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग नगण्य है। फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति पूर्णतया केन्द्रीय आवंटन पर ही निर्भर है। बिहार सरकार ने विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं परन्तु उत्पादन प्रारम्भ होने में अभी तीन चार वर्श लग जाएंगे। श्री कुमार ने मांग की है कि एन०टी०पी०सी० द्वारा पटना जिला में लगाए जा रहे सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज- ८ एवं ८ से उत्पादित विद्युत का कम से कम 40 प्रतिशत बिहार को आवंटित किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्शों से बिहार में कोई नया थर्मल पावर स्टेशन स्थापित नही किया गया है, साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत देश के निम्नतम पैदान पर है। वर्तमान् में राज्य में गंगाजल का बहुत कम उपयोग हो रहा है, बावजूद इसके मात्र 30-35 क्यूसेक गंगाजल के उपयोग से लगने वाले थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित प्रस्ताव पर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से आपत्ति उठाई जा रही है। यह विचित्र विडम्बना है कि जिसे हर साल बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ता है, उसी को उर्जा परियोजनाओं में बाढ़ के उसी जल से वंचित किया जाता है। श्री कुमार ने प्रधान मंत्री

जी से सविनय आग्रह किया है कि हस्तक्षेप कर गंगा जल उपयोग के लिए सहमति प्रदान करें ताकि बिहार की विद्युत परेशानी कुछ हद तक दूर हो सके।

श्री कुमार ने बताया कि स्थायी कृशि विकास को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा विशिश्ट कृशि रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति, मिट्टी के पोशक तत्वों का अपूरण एवं कृशि विपणन में आव"यक सुधार का उपबन्ध है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृशि आधारित क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर जो 2005-06 में रु६ 19291.95 करोड़ था, वर्श 2008-09 में बढ़कर 26846.51 करोड़ हो गया। यद्यपि की कृशि एवं कृशि आधारित क्षेत्र के योगदान में एकान्तर वर्श का उतार-चढ़ाव जारी रहता है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में निरन्तर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री नीतीश कुमार ने केन्द्र राज्य संबंधों के आलोक में अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए कहा कि ''हमारे जैसे स्थापित संघीय ढांचे में यह शोभा नहीं देता कि केन्द्रीय मंत्रीगण केन्द्रीय संसाधनों तथा मंचो का उपयोग चुनकर आई राज्य सरकार की आलोचना करने एवं उनके विरूद्ध अभियान चलाने में करें'' संविधान में केन्द्र की भूमिका राज्य की सहयोगी के रूप में दी गई है न कि अड़ंगा डालने के लिए।

श्री नीतीश कुमार ने अन्त में कहा कि मेरे द्वारा की गयी टिप्पणियों को समुचित ढ़ंग से समाविश्ट की जरूरत है। आर्थिक विकास का लाभ समाज के कमजोर तबके तक पहुँचाया जाना जरूरी हैं जब तक संसाधन आवंटन और सकल वित्तीय ढ़ाँचा के निर्धारण पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, तब तक समावेशी विकास की तलाश एक दिवास्वप्न ही रह जायेगा। सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने की केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रिगण, राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं श्री कुमार के साथ राज्य के वरिश्ठ पदाधिकारीगण आहूत बैठक में उपस्थित थे।

००००००